डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. हरीसिंह पुत्र देवहंस जाति जाटव निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 ———मृतक

1/1. सुकन्ती बेवा स्व0 हरीसिंह
1/2. मुकेशचन्द पुत्र स्व0 हरीसिंह
1/3. दौलत पुत्र स्व0 हरीसिंह
1/4. गलता पुत्री स्व0 हरीसिंह पत्नी रिंकू

जाति जाटव निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली

1/5. शिवानी उर्फ तरन पुत्री स्व0 हरीसिंह पत्नी चैनसिंह जातियान जाटव, निवासी जहानाबाद तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0

2. मुरारी पुत्र देवहंस जाति जाटव निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान———————————————————वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर, जिला करौली (राज0) बमुकाम कलेक्ट्रेट करौली (राज0)
2. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन, बमुकाम हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान ——————————————————— प्रतिवादीगण
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा हिण्डौन सिटी, जरिये प्रबन्धक, शाखा धाकडपोठा हिण्डौन सिटी बमुकाम धाकडपोठा हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0)——————————————————— तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत् इस्तकरार हक, **मुकदमा नं0 204/2016**
इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री महेश पाण्डेय एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू ...... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 0.07 है0 व 674 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/8/17 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 204/2016 तारीख रजू:– 21.12.2016

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. हरीसिंह पुत्र देवहंस जाति जाटव निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 ———मृतक

1/1. सुकन्ती बेवा स्व0 हरीसिंह | जाति जाटव निवासी करसौली

1/2. मुकेशचन्द पुत्र स्व0 हरीसिंह | तहसील हिण्डौन जिला करौली

1/3. दौलत पुत्र स्व0 हरीसिंह |

1/4. गलता पुत्री स्व0 हरीसिंह पत्नी रिंकू

1/5. शिवानी उर्फ तरन पुत्री स्व0 हरीसिंह पत्नी चैनसिंह जातियान जाटव, निवासी जहानाबाद तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0

2. मुरारी पुत्र देवहंस जाति जाटव निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान————————————————————वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर, जिला करौली (राज0) बमुकाम कलेक्ट्रेट करौली (राज0)
2. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन, बमुकाम हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान ———————————————————— प्रतिवादीगण
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा हिण्डौन सिटी, जरिये प्रबन्धक, शाखा धाकडपोठा हिण्डौन सिटी बमुकाम धाकडपोठा हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0)———————————————————— तरतीबी प्रतिवादी

<u>दावा बाबत इस्तकरार हक एवं इन्द्राज</u>
<u>दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :– 1. श्री महेश पाण्डेय एडवोकेट वादीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 12/08/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् इस्तरार हक एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि भूमि नवीन खसरा नम्बर 659 रकवा 0.7000 किस्म बारानी–2, खसरा

नम्बर 672 रकवा 0.1700 किस्म बारानी–2 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.8700 है0 स्थित ग्राम नरसिंहपुरा पटवार हल्का करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली में है, जिनका पुराना खसरा नम्बर 158 मिन रकवा 4 बीघा किस्म बारानी 3 स्थित ग्राम करसौली तहसील हिण्डौन है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि भूमि नवीन खसरा नम्बर 673 रकवा 0.0700 किस्म बंजड–1 खसरा नम्बर 674 रकवा 0.1900 किस्म बंजड–1 स्थित ग्राम नरसिंहपुरा पटवार हल्का करसौली, तहसील हिण्डौन, जिला करौली में है, जिनका पुराना खसरा नम्बर 158 मिन बाके ग्राम करसौली तहसील हिण्डौन है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि भूमि वर्णित मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वाद पत्र के वादीगण वर्तमान में रिकोर्डेड खातेदार टीनेन्ट है, परन्तु भूमि वर्णित मुतजिक्रा मद नं0 2 वादपत्र वर्तमान में राजकीय खाते में कृषि योग्य भूमि दर्ज है। जबकि समस्त भूमि वर्णित मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वादपत्र तथा मुतजिक्रा मद नं0 2 वादपत्र वादीगण के पिता देवहंस पुत्र सुगन्या जाति जाटव निवासी करसौली की अलोटशुदा एवं खातेदारी की तथा कब्जा काश्त की भूमियां है जिनका सरकारी लगान भी वादीगण के पिता एवं वादीगण ने सरकार में बदस्तूर जमा करवाया है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादीगण के पिता देवहंस पुत्र सुगन्या जाति जाटव निवासी करसौली को भूमि साविक खसरा नम्बर 158 रकवा 5 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै0 मु0 बेहड बाके ग्राम करसौली सिवाय चक के खाते में से रकवा 4 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 21.09.1970 को पट्टा दिनांक 09.07.1971 के द्वारा आबंटित हुई थी और उसी समय वादीगण के पिता भूमि पर काबिज व दखील हो गये। उसके बाद वादीगण के पिता देवहंस पुत्र सुगन्या जाटव के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 431 बाके ग्राम करसौली पुराने खसरा नम्बर 158 मिन 4 बीघा, किस्म बारानी–3 वाके ग्राम करसौली का गैर खातेदारी का नामान्तकरण खुल गया तथा उसके पश्चात वादीगण के पिता के नाम उक्त आवंटित भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 33 बाके ग्राम करसौली खुलकर राजस्व रिकार्डस में खातेदारी दर्ज हो गयी। बाद में वादीगण के पिता देवहंस का दिनांक 25.05.2007 को र्स्वगवास हो जाने के बाद उक्त भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वादपत्र वर्णित का विरासत का नामान्तकरण खुलने के बाद वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज हो गयी। इस प्रकार वादीगण के पिता देवहंस पुत्र सुगन्या जाटव की अलोटशुदा भूमि पुराने खसरा नम्बर 158 रकवा 4 बीघा को वादीगण अपने पिता के समय से ही आज दिन तक बदस्तूर काबिल व दखील है तथा भूमि आबंटन से आज तक बदस्तूर कब्जा काश्त करते चले जा रहे हैं और फसल दर फसल उक्त भूमियों में से फसल काश्त कर दरोह कर रहे है तथा सरकारी लगान भी अदा कर रहे है। आवंटित भूमि पूर्व में ऊबड–खाबड़ व अनउपजाऊ भूमि थी, बाद में पिता वादीगण एवं वादीगण ने काफी धन लगाकर व श्रम करके एवं सुधार करके उपजाऊ भूमि बनाकर काबिल काश्त बनाया है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वादपत्र वर्णित की आवंटित भूमि पुराने खसरा नम्बर 158 का कुल रकवा 4 बीघा वादीगण के पिता को आवंटित हुआ था, जिसमें कुल रकवा 100 ऐयर भूमि होती है, परन्तु तत्कालीन सेटिलमेन्ट विभाग ने नवीन राजस्व रिकार्डस बनाते समय पुराने खसरा नम्बर 158 मिन के नवीन खसरा नम्बर 659 का रकवा 0.7000 तथा नवीन खसरा नम्बर 672 का रकबा 0.1700 बनाकर वादीगण के पिता के नाम खातेदारी दर्ज कर दी, जो बाद में पिता वादीगण के मरने के बाद वादीगण के नाम राजस्व रिकार्डस में दर्ज हो गयी जबकि नवीन खाते के नवीन खसरा नम्बर 659 व 672 का कुल रकवा 87 ऐअर ही राजस्व रिकार्डस में तत्कालीन सेटिलमेन्ट विभाग ने गलत दर्ज कर दिये क्योंकि आवंटित भूमि का कुल रकवा 100 ऐअर दर्ज होना चाहिऐ था। इस प्रकार तत्कालीन सेटिलमेन्ट विभाग ने वादीगण के नवीन खाते में रकवा 13 ऐअर भूमि कम दर्ज कर दी है तथा नवीन नक्शा ट्रेस भी सेटिलमेन्ट विभाग ने गलत बना दिया है इस प्रकार तत्कालीन सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा तथा बाद में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण की आवंटित भूमि के नवीन खाते में 13 ऐअर रकवा भूमि कम दर्ज करने एवं गलत राजस्व रिकार्ड बनाने के कारण तथा गलत नवीन नक्शा ट्रेस बनाने के कारण तथा भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वादपत्र का सिवायचक (कृषि भूमि योग्य) का गलत खाता बनाने के कारण वादीगण की आवंटित भूमि के बावत जमाबन्दी खसरा गिरदावरी मिलान का क्षेत्रफल , नक्शा ट्रेस, पर्चा लगान, खतौनी, नामान्तकरण, पर्चा आदि समस्त राजस्व रिकार्डस के समस्त प्रकार के गलत इन्द्राजात व परिवर्तन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध होने से इल्लीगल नल एण्ड बोइड बमुकावले वादीगण प्रभावहीन है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि वादीगण के पिता देवहंस के नाम अलोटशुदा भूमि पुराने खसरा नम्बर 158 मिन का रकवा 4 बीघा है जिसके तत्कालीन सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 659 रकवा 0.7000 तथा नवीन खसरा 672 रकवा 0.17000 के अलावा मौके की स्थिति के अनुसार भूमि मुतजिक्रा मद नं0 2 वादपत्र में वर्णित पुराने खसरा नम्बर 158 मिन में से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 673 रकवा 0.0700 का सम्पूर्ण रकवा तथा नवीन खसरा नम्बर 674 रकवा 0.1900 का सम्पूर्ण रकवा भूमि वादीगण की आवंटित भूमि पुराने खसरा नम्बर 158 के रकवा 4 बीघा के ही हिस्से की भूमि है तथा इसी की सीमा के अन्दर है इस प्रकार आवंटन के समय पुराने खसरा नम्बर 158 रकवा 4 बीघा रकवा भूमि नवीन खसरा नम्बर 659, 672, 673, 674 की सीमा के अन्दर ही अलोट हुई थी तथा आवंटन के समय दक्षिण दिशा की ओर जगर नदी के लगवा तक तथा उत्तर दिशा की तरफ पुराने खसरा नम्बर 159 के लगवा तक वादीगण के पिता को अलोट हुई थी। और आवंटन के समय से ही वादीगण पिता व वादीगण नवीन खसरा नम्बर 659, 672, 673, 674 के सम्पूर्ण रकवा भूमि पर काबिज व दखील है और अब सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 159 के नवीन खसरा नम्बर 675 के लगवा तक वादीगण की अलोटशुदा भूमि है परन्तु

सेटिलमेन्ट विभाग के मौके की वास्तविक स्थिति की जांच किये बिना एवं बिना कब्जा देखे तथा नया–पुराने राजस्व रिकार्डस का एवं नक्शा ट्रेस आदि का मिलान व अवलोकन किये बिना ही नवीन खसरा नम्बर 673 व 674 का नवीन खाता राजकीय भूमि (सिवायचक) कृषि योग्य भूमि का गलत दर्ज कर दिया जबकि आवंटन की स्थिति को देखते हुऐ एवं मौके की स्थिति को देखते हुए और मौके पर कब्जा काश्त को देखते हुये और राजस्व रिकार्डस को देखते हुऐ नवीन खसरा नम्बर 673 रकवा 0.0700 ऐयर तथा नवीन खसरा नम्बर 674 रकवा 0.1900 ऐयर वाके ग्राम नरसिंहपुरा (करसौली) वादीगण के अलोटशुदा भूमि का हिस्सा होने से तथा कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमियां है। इस प्रकार मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वादपत्र वर्णित आराजीयात के वादीगण कानूनन खातेदार टीनेन्ट करार पाते हैं।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट विभाग के मनमाने ढंग से नवीन खसरा नम्बर व नक्शा ट्रेस गलत बना दिये तथा नवीन खसरा नम्बर 673 व 674 को राजकीय खाते में गलत दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमियां अभी भी राजस्व रिकार्ड में कृषि योग्य भूमि दर्ज है तथा उक्त भूमियों पर अब भी मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त मौजूद है। उक्त भूमियों के आवंटन के समय से ही वादीगण एवं उनके पिता बदस्तूर आज तक कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा मुतजिक्रा मद नम्बर 1 व 2 वादपत्र की समस्त आराजीयात मौके पर डौलमेंड से महदूद है। इस प्रकार उक्त समस्त आराजीयात के वादीगण राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस आदि में सही तरमीम कराने के अधिकारी हैं। चूंकि दौराने सेटिलमेन्ट एवं वाद में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण की भूमि मुतजिक्रा मद नं0 1 व 2 वादपत्र के बाबत गलत खाता एवं कम रकवा दर्ज करने का उस समय वादीगण को इल्म नहीं हो सका, अब जानकारी हुई है।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 व 2 वादपत्र साविक में राजस्व ग्राम करसौली के हार में थी परन्तु बाद में वर्तमान में राजस्व ग्राम नरसिंहपुरा के नाम से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीगण ने अलग से खाता बना दिया है।

वाद पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 व 2 वादपत्र वर्णित आराजीयात में वादीगण ने गत संवत 2072 में रबी की फसल में गेहूं तथा खरीफ की फसल में बाजरा की फसल काश्त की थी और दोनों फसलें दरोह की थी तथा संवत 2073 में अब समस्त आराजीयात में वादीगण ने खरीफ की फसल में बाजरा काश्त का दरोह किया है तथा वर्तमान में संवत 2073 में रबी की फसल में गेहूँ व सरसों वादीगण ने काश्त की है जो कि फसले मौके पर सरसब्ज हालत में खडी है।

वाद पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि दिनांक 25.11.2016 को जब वादीगण पटवारी हल्का के पास अलोटशुदा भूमि के बराबर भूमि का खाता वादीगण के नाम दर्ज करने तथा रकवा पूर्ति करने बाबत तथा मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वादपत्र वर्णित आराजीयात की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कर वादीगण के नाम समस्त भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 1

वादपत्र के साथ साथ भूमि मुतजिक्रा मद नं0 2 वादपत्र की खातेदारी राजस्व रिकार्डस में दर्ज करने तथा सही नक्शा ट्रेस बनाने बावत कहा तो पटवारी हल्का ने वादीगण से ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया और न्यायालय में दावा पेश करने को कहा। चूंकि वादीगण की अलोटशुदा भूमि का हिस्सा भूमि वर्तमान में राजकीय खाते में मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वादपत्र का सिवायचक का खाता होने से पटवारी हल्का बार-बार वादीगण को अलोटशुदा भूमियों के बेदखल की धमकी देते है तथा जबरन कब्जा करने की धमकी देते है। जिससे वादीगण के हकूकों को अकथनीय व अपूर्तनीय हानि होगी इसलिए दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि दावा हाजा में प्रतिवादी नं0 1 स्टेट ऑफ राजस्थान का प्रतिनिधि जिला कलेक्टर करौली होने से तथा प्रतिवादी नं0 2 तहसीलदार, हिण्डौन को लैण्डहोल्डर होने की वजह से प्रतिवादीगण बनाया गया है। जिन प्रतिवादगण संख्या 1 व 2 को वादीगण की ओर से जरिये वकील धारा 80 जा0 दी0 का दो माह मियादी का कानूनन नोटिस दि. 01.12.2016 को दे दिया गया है तथा प्रतिवादी सं0 3 एसबीबीजे हिण्डौन से वादीगण ने किसान क्रेडिट कार्ड का कृषि ऋण लेने से महज तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। दावा हाजा दो माह पूर्व पेश करने के लिये धारा 80(2) जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र बावत परमीशन का अलग से पेश है।

वाद पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 25.11.2016 को पटवारी हल्का द्वारा वादीगण के नाम भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 व 2 वाद पत्र वर्णित की अलोटशुदा भूमि के बराबर खाता दर्ज करने तथा रकवा पूर्ति करने से तथा भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वाद पत्र की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करने से तथा सही खाता व सही नक्शा ट्रेस बनाने से स्पष्ट इंकार कर देने से तथा वादीगण की अलोटशुदा भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वादपत्र से पटवारी हल्का द्वारा वादीगण को बेदखल कर जबरन करने की धमकी देने से स्थान नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन अन्दर हदूद आराजी अदालत वाला पैदा हुई। और दावा हाजा इल्म होते ही अन्दर म्याद पेश है।

वाद पत्र के मद नं015 अ, ब में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत इस्तकरार हक इस अम्र का डिक्री फरमाया जावे कि भूमि पुराने खसरा नम्बर 158 रकवा 4 बीघा स्थित ग्राम करसौली हाल राजस्व ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन वादीगण के पिता देवहंस पुत्र सुगन्या जाति जाटव निवासी करसौली दिनांक 21.09.1970 को अलोट होने तथा दिनांक 09.07.1971 के पट्टे द्वारा आवंटित शुदा भूमि होने से तथा वादीगण के पिता उक्त भूमि के रिकार्डेड टीनेन्ट होने से एवं वादीगण की पैतृक भूमि होने से भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वादपत्र वर्णित स्थित ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन जिसके वादीगण पहले से ही रिकार्डेड खातेदारी टीनेन्ट है, के साथ साथ मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वादपत्र वर्णित भूमियां स्थित ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन जो अलोटशुदा भूमि का ही हिस्सा एवं भाग

होने से तथा पुराने खसरा नम्बर 158 का ही मिन नम्बर होने से एवं उसी की सीमा तक में होने से तथा इन भूमियों पर वादीगण का अपने पिता के समय से ही कदीमी कब्जा काश्त होने से वादीगण भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वाद पत्र के कानूनन खातेदार टीनेन्ट करार पाते है तथा भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वाद पत्र वर्णित का राजकीय खाता (सिवायचक) कृषि योग्य भूमि का खाता जो गलत दर्ज कर दिया है उसके सिवायचक के खाते को हजफ कर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है तथा तत्कालीन सेटिलमेन्ट विभाग एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा अलोटशुदा भूमि के बावत भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 व 2 वर्णित आराजीयात के बावत गलत खाता दर्ज करने एवं खाते में रकवा 13 ऐयर भूमि कम दर्ज करने एवं गलत नक्शासीट बनाने के कारण तथा भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वादपत्र का राजकीय खाता (सिवायचक) गलत दर्ज करने के कारण जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शासीट, पर्चा सेटिलमेन्ट, खसरा पत्रक, एवं नामान्तकरण आदि समस्त राजस्व रिकार्ड में किये गये समस्त प्रकार के गलत इन्द्राजात व गलत परिवर्तन, प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध होने से इल्लीगल नल, एण्ड बोइड बमुकावले वादीगण प्रभावहीन है। दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर उक्त प्रकार की घोषणा की जावै तथा विवादित भूमियों का वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर बराबर भूमियों में दर्ज कर अलग खाता, अलग लगान कायम किया जावै। तथा भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वादपत्र का राजकीय खाता सिवायचक (कृषि योग्य भूमि) को हजफ कर तथा रकवा कमी पूर्ति कर सही नक्शाट्रेस मिलान क्षेत्रफल बनाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात का करेक्शन किया जावे। तथा भूमियों की किस्म चेन्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को उक्त प्रकार की तहरीर अमल दरामद हेतु जारी की जावै तथा दावा वादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण इस अम्रका कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वादपत्र में वर्णित आराजीयात से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण को बेदखल नहीं करे और उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे तथा वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे और ना ही किसी अन्य से करावै। और वादीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे। बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इसके लिए पाबंद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर ना तो कोई जबावदावा पेश किया और ना ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किये। प्रतिवादी नं02 ने भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट पेश की है। भू-अभिलेख निरीक्षक अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद न0 1 व 2 रिकार्ड के आधार पर है जो स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं0 3 में अंकित खसरा नम्बर 673 रकवा 0.0700 है0 तथा ख0 नं0 674 रकवा है0 0.1900 राजकीय सिवायचक

भूमि है। अतः अस्वीकार है। वादीयान के पूर्वजों का उक्त ख0 नम्बरान से कोई सम्बन्ध नहीं है ना ही रहा है।

जबावदावा के मद नं0 4 आंशिक स्वीकार है। वादीयान के पिता देवहंस को गत ख0 नं0 158 रकवा 5 बीघा 10 बिस्वा में से चार बीघा भूमि आवंटन हुई थी गत ख0 नं0 158 से नवीन ख0 नं0 669 रकवा 0.7000 और ख0 नं0 657 0.1700 गत ख0 नं0 158 मिन रकवा 5 बीघा 7 बिस्वा से ख0नं0 671 रकवा 1.10 है0 ख0नं0 672 रकवा 0.1700 है0 गत ख0 नं0 158 मिन रकवा 5 बीघा 7 बिस्वा से खसरा नं0 671 रकवा 1.10 ख0 नं0 रकवा 0.17 है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बने है।

जबावदावा के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं0 5 व 6 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं0 7 स्वीकार योग्य नहीं है। ख0 नं0 673, तथा ख0 नं0 674 वादीयान के न होकर सरकारी है।

मद नं0 8 रिकार्ड है।

मद नं0 9 स्वीकार योग्य नहीं है। वादीयान द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

दावा की मद नं0 10 स्वीकार योग्य नहीं है। राजकीय भूमि से बेदखली की कार्यवाही कानूनी है। जिससे अतिक्रमणकारीयों को सरकारी भूमि हड़पने का मौका नहीं मिले।

मद नं0 11 से 13 कानूनी है। अतः वादीयान का दावा खारिज योग्य है।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 प्रदर्श–1, व 2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल नामान्तकरण सं0 431 दिनांक 11.08.1980 प्रदर्श –4, नकल नक्शा शीट हाल नम्बरान प्रदर्श–5, नकल नक्शा शीट साबिक नम्बरान प्रदर्श–6, रजिस्ट्री की रसीद जिला कलक्टर करौली प्रदर्श–7, प्राप्ति रसीद जिला कलक्टर करौली प्रदर्श–8, रजिस्ट्री की रसीद तहसीलदार हिण्डौन प्रदर्श–9, प्राप्ति रसीद तहसीलदार हिण्डौन प्रदर्श–10, 80 सीपीसी के तहत दिया गया नोटिस की प्रति प्रदर्श –11, नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 प्रदर्श–12, नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 प्रदर्श–13 पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में श्रीचन्द पुत्र चिम्मन जाति जाटव निवासी रतनपुरा करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली, अमरसिंह पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली, रामरतन पुत्र किरोडी जाति माली निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली, वादी नं0 1/3 दौलत पुत्र स्व0 हरीसिंह जाति जाटव निवासी करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली के शपथ पत्र वास्ते बयान गवाह के रूप में पेश किये गये हैं।

प्रतिवादीगण को जबाव पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबावदावा पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया और नाही उपस्थित आये।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 659 रकबा 0.70 है0, 672 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी हरीसिंह मुरारी पि0 देवहंस हि0ब0 जाति जाटव निवासी ग्राम खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 0.07 है0, 674 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सिवायचक सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर निम्नानुसार कायम किये गये :–

साविक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
158 मिन	4 बीघा	659	0.70 है0
158 मिन	–	657	0.17 है0
158 मिन	–	651	0.48 है0
158 मिन	–	658	0.16 है0
158 मिन	18 बिस्वा	660	0.45 है0
158 मिन	–	661	0.43 है0
158 मिन	–	662	0.37 है0
158 मिन	2 बीघा	669	0.32 है0
158 मिन	–	670	0.31 है0
158 मिन	5 बीघा 7 बिस्वा	671	1.10 है0
158 मिन	–	672	0.17 है0
158 मिन	5 बीघा 10 बिस्वा	673	0.07 है0
158 मिन	–	674	0.19 है0
158 मिन	–	677	0.18 है0

नकल नामान्तकरण सं0 431 दिनांक 11.08.1980 प्रदर्श –4 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 158 मिन सिवायचक में से खसरा नम्बर 158 मिन रकबा 4 बीघा वाके ग्राम

करसौली तहसील हिण्डौन का देवहंस पुत्र सुगन्या जाति चमार निवासी करसौली गैरखातेदार के हक में भरकर तस्दीक किया गया।

नकल नक्शा शीट हाल नम्बरान प्रदर्श–5, नकल नक्शा शीट साबिक नम्बरान प्रदर्श–6 के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि साबिक खसरा नम्बर 158 मिन रकबा 4 बीघा वादी देवहंस पुत्र सुगन्या को किस जगह आवंटित की गई थी, मुताविक साबिक नक्शा ट्रेस साबिक खसरा नम्बर 158 का रकबा काफी बडा था, जिसमें से आवंटन किया गया उसका बटा नम्बर साबिक ट्रेस में अंकन नहीं होने से साबिक व हाल नक्शा ट्रेस का मिलान किया जाना सम्भव नहीं है।

रजिस्ट्री की रसीद जिला कलक्टर करौली प्रदर्श–7, प्राप्ति रसीद जिला कलक्टर करौली प्रदर्श–8, रजिस्ट्री की रसीद तहसीलदार हिण्डौन प्रदर्श–9, प्राप्ति रसीद तहसीलदार हिण्डौन प्रदर्श–10, 80 सीपीसी के तहत दिया गया नोटिस की प्रति प्रदर्श –11 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी के द्वारा दावा दायरी से पूर्व प्रतिवादीगण को 80 सीपीसी के तहत नोटिस दिया गया था।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 प्रदर्श–12 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 658 रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गलता पुत्री हरीसिंह हि0 1/10, दौलत पुत्र हरीसिंह हि0 1/10, मुकेश पुत्र हरीसिंह हि0 1/10, मुरारी पुत्र देवहंस हि0 1/7, जातियान जाटव सा.ग्राम खातेदार, लखनलाल बसवाल पुत्र भौरीलाल हिस्सा 5/14 जाति खटीक सा0 पदमपुरा तहसील टोडाभीम, शिवानी पुत्री हरीसिंह हि0 1/10, सुकन्ती पत्नि स्व0 हरीसिंह हि0 1/10 जाति जाटव सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 प्रदर्श–13 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 672 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी गलता पुत्री हरीसिंह हि0 1/10, दौलत पुत्र हरीसिंह हि0 1/10, मुकेश पुत्र हरीसिंह हि0 1/10, मुरारी पुत्र देवहंस हि0 1/2, शिवानी पुत्री हरीसिंह हि0 1/10, सुकन्ती पत्नि स्व0 हरीसिंह हि0 1/10 जातियान जाटव सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड से यह साबित नहीं होता है कि साबिक खसरा नम्बर 158 मिन रकबा 4 बीघा से दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.07 है0 व 674 रकबा 0.19 है0 कायम किये गये हों। बल्कि नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त दोनों खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 158 मिन रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा से कायम किये गये हैं। वादीगण का मात्र 13 एयर रकबा साबिक रिकार्ड के अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड में कम है जबकि उक्त दोनों खसरा नम्बरों का कुल रकबा 0.26 है0 होता है। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.07 है0 व 674 रकबा

0.19 है0, सेटिलमेन्ट से पूर्व के साबिक खसरा नम्बर 158 मिन रकबा 4 बीघा स्थित ग्राम नरसिंहपुरा का ही भाग हो। इसलिए वादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.07 है0 व 674 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम नरसिंहपुरा की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी साबित नहीं होते हैं तो प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ भी प्राप्त करने के अधिकारी साबित नहीं हैं। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 0.07 है0 व 674 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम नरसिंहपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/8/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली